

कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।

(खनन अनुभाग)

संख्या: 179/ए0जे0ए0-2/ड्रेजिंग बालू/2025

दिनांक: 21 जून, 2025

ई-निविदा आमंत्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बाराबंकी में सरयू/ घाघरा नदी के दायें तट पर ड्रेजिंग के फलस्वरूप ड्रेजिंग मैटेरियल (साधारण बालू) निकला है जिसके निस्तारण के सम्बन्ध में विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र संख्या-6/2024/523616 /2024/फाइल नं0-86-01099/51/2023 दिनांक 19.03.2024 व शासनादेश संख्या-715/86-2017-57 (स)/2017 दिनांक 22.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार ड्रेजिंग मैटेरियल (साधारण बालू) हेतु 03 माह की अल्प अवधि के लिए ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से ड्रेजिंग के फलस्वरूप निकले साधारण बालू (भण्डारित बालू) इस कार्यालय के पत्र संख्या-73/ए0जे0ए0-2/ड्रेजिंग बालू /2025 दिनांक 19 मई, 2025 विज्ञापित प्रकाशित की गई, जिसमें मानक के अनुरूप निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण निविदा समिति द्वारा उक्त निविदा को निरस्त करते हुए पुनः ई-निविदा आमंत्रित किये जाने की संस्तुति की गई, जिसके क्रम में पुनः ई-निविदा दिनांक 03-07-2025 से दिनांक 10-07-2025 (07 कार्य दिवस) तक क्षेत्रों के लिए ई-निविदा <http://etender.up.nic.in> पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है:-जनपद बाराबंकी, तहसील सिरौली गौसपुर में घाघरा नदी के दायें तट पर स्थित ग्राम सिरौली गूंग अन्य ग्राम समूहों की बाढ़ एवं कटान से सुरक्षा हेतु अनुमानित भण्डारित बालू जिओकोआर्डिनेट का विवरण:-

लाट सं०	उपखनिज का नाम व दर	कुल अनुमानित मात्रा घन मी०	न्यूनतम आरक्षित मूल्य	कुल धनराशि का 75 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी	विन्दु Pillar	अक्षांश	देशान्तर
1	सा०बालू रू० 65/-	9375	609375	457032	(A) (B)	27.03976 27.03886	81.5494 81.55063
2	सा०बालू रू० 65/-	1050	68250	51188	(A) (B)	27.03772 27.03717	81.55172 81.55235
3	सा०बालू रू० 65/-	4500	292500	219375	(A) (B)	27.03613 27.035321	81.55344 81.55439
4	सा०बालू रू० 65/-	6240	405600	304200	(A) (B)	27.03501 27.3453	81.55481 81.55535
5	सा०बालू रू० 65/-	10920	709800	532350	(A) (B)	27.0345 27.03364	81.55539 81.5562
6	सा०बालू रू० 65/-	23660	1537900	1153425	(A) (B)	27.03363 27.03167	81.55624 81.55671
7	सा०बालू रू० 65/-	9600	624000	468000	(A) (B)	27.0317 27.03103	81.55775 81.55829
8	सा०बालू रू० 65/-	29250	1901250	1425938	(A) (B)	27.0309 27.02817	81.55834 81.55984
9	सा०बालू रू० 65/-	4860	315900	236925	(A) (B)	27.02861 27.02791	81.55987 81.56039
10	सा०बालू रू० 65/-	25415	1651975	1238982	(A) (B)	27.02792 27.02633	81.5604 81.56166
11	सा०बालू रू० 65/-	12375	804375	603282	(A) (B)	27.02624 27.02506	81.56167 81.56264
12	सा०बालू रू० 65/-	15000	975000	731250	(A) (B)	27.02503 27.02346	81.56263 81.56365
13	सा०बालू रू० 65/-	10080	655200	491400	(A) (B)	27.02343 27.02218	81.56364 81.56456
14	सा०बालू रू० 65/-	2800	182000	136500	(A) (B)	27.02218 27.02154	81.56456 81.5648
15	सा०बालू रू० 65/-	5040	327600	245700	(A) (B)	27.02154 27.01963	81.5648 81.55655

- 2- सभी लाट/खण्डों के बालू हटाने की अवधि 03 माह अथवा नदी के जलस्तर बढ़ने, जिसके कारण बालू हटाना सम्भव न हो, मात्रा अथवा अवधि जो भी पहले घटित हो मान्य होगा। किसी भी दशा में अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।

- 3- कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई-निविदा संलग्न प्रारूप-2, पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी:-
- क. विज्ञापित संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।
- ख. विज्ञापित में क्षेत्र का क्रमांक:
- ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान)  
ई-मेल एवं मोबाइल नं०-
- घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए उसने निविदा प्रस्तुत की है, जिसमें निम्न हो-  
उपखनिज का नाम-  
तहसील का नाम-  
भण्डारित स्थल का नाम/ग्राम- खण्ड संख्या/लाट संख्या-  
विज्ञापित में दी गयी भण्डार की मात्रा-
- ड. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता(स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मोबाइल नं० (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा-आधार कार्ड/वोटर आई डी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल, बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण)
- च. खनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली दर, जो खनिज के लिए नियमावली 2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।
- छ. एकत्रित किये गये साधारण बालू की मात्रा (घनमीटर) को नियमावली 2021 की अनुसूची-1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी, उसका 75 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी वारावकी के पक्ष में अग्रिम के रूप में दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूलप्रति ई निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करानी होगी। प्रत्येक क्षेत्र की ई-निविदा हेतु पृथक-पृथक बैंक ड्राफ्ट जमा किया जाना अनिवार्य होगा। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगी उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
- ज. खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र।
- च. उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र-
- छ. पैन कार्ड एवं फोटो युक्त पहचान पत्र।
4. ई-निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 03-07-2025 से दिनांक 10-07-2025 (सात कार्य दिवस) तक ई-टेण्डर पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई-निविदा अपलोड की जायेगी।
5. यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई-टेण्डरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:-
- (क) ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
- (ख) ई-टेण्डरिंग पोर्टल पर विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा।
- (ग) विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई-टेण्डर पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
- 6- निविदाकार द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई-टेण्डरिंग पर करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी:
- i- सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई-टेण्डर पोर्टल पर लॉगिन आई0डी0 (Login ID), व पासवर्ड (Password) के द्वारा ई-टेण्डर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।
- ii- तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई-टेण्डर पोर्टल पर किया जाना होगा।
- iii- निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेण्डर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Partipate) करने हेतु क्लिक करना होगा।
- iv- निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा सम्बन्धित सभी जानकारी को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर प्रिन्टआउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।

- V- निविदाकार द्वारा निविदा को समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा का ई-टेंडर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर-3 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैण्ड कापी कर पी0डी0एफ0 बनायी जानी होगी।
- VI- ई-टेंडर डाकूमेंटस की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पी0डी0एफ0 फाइल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा "पे आफ लाइन"(Pay offline) विकल्प पर क्लिक करने पर एग्रीमेंट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री-सबमिट (I Agree Submit) पर क्लिक करना होगा।
- VII- तत्पश्चात निविदाकार द्वारा प्रीबिड अर्नेस्ट मनी से सम्बन्धित कालम में जमा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियों भरने के बाद उसको Save कर लिया जायेगा।
- VIII- निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर क्लिक करना होगा जिससे कि प्रीबिड अर्नेस्ट मनी को टेंडर के साथ जमा किये जाने से सम्बन्धित कार्य पूर्ण माने जायेंगे।
- IX- यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गई तकनीकी एवं वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई निविदा/बिड्स में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आईकन में क्लिक कर पुनः पूर्व प्रक्रिया को अपनाते हुए ई निविदा रि-बिड सबमिशन (Rebid Submission) पर क्लिक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते हैं। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेंडर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गई निविदा (Last Submit Bid) ही ई-टेंडर पोर्टल पर अनुमन्य होगी। पूर्व प्रस्तुत की गई बिड्स अनुमन्य नहीं होगी।
- 7- विज्ञप्ति के अनुसार ई-निविदा 07 कार्यदिवसों में प्राप्त ई निविदाओं को अगले कार्यदिवस दिनांक 11-07-2025 अपरान्ह 3.00 बजे लोकसभागार कलेक्ट्रेट बाराबंकी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जायेगा। ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0-15000/-का चालान/डी0डी0 प्रत्येक खण्ड के लिए अलग-अलग जमा करना होगा।
- 8- विन्दु संख्या-3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा विन्दु संख्या-3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेख की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि दिनांक 11-07-2025 को समय प्रातः 10.00बजे से 01.00बजे तक न्यायालय अपर जिलाधिकारी, बाराबंकी के कक्ष में रखे बाक्स में जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।
- 9- क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा हटाने सम्बन्धी सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
- 10 जिलाधिकारी को कोई कारण बताए बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
- 11- ई-टेंडर साईट का उपयोग करने के लिए Pentium-IV अथवा उच्च विशिष्टियों युक्त कम्प्यूटर तथा ब्राडबैंड इन्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगा इन्टरनेट कन्ड्र की सेवाएं ली जा सकती हैं।
- 12- जिला स्तर पर ई-टेंडरिंग से सम्बन्धित टेंडर्स अपलोड किये जाने, टेंडर्स खोले जाने इत्यादि कार्यों हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण/परीक्षण हेतु यू0पी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 10 अशोक मार्ग लखनऊ से भी सम्पर्क किया जा सकता है।
- 13 भण्डारण स्थल अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।
14. क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के अनुज्ञापत्र के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु

- सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। सहमति पत्र निर्गत होने के 02 दिवस के अन्दर अवशेष सभी धनराशि जमा करना होगा। अन्यथा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी जिसके लिए कोई दावा/प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी।
15. निविदाकार को बालू भण्डारण स्थल से मुख्य मार्ग तक मार्ग की व्यवस्था/निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा। किसी तृतीय पक्ष के विवाद की स्थिति में राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।
  16. ई-निविदा में दी गई दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि निकाली जायेगी। अग्रिम के रूप में जमा 75 प्रतिशत की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट/कोपागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।
  17. ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं भण्डारित स्थल के लिए पहुँचमार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
  18. मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (मा0एन0जी0टी0) द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं उ0प्र0 उपखनिज(परिहार) नियमावली 2021 तथा समय समय पर निर्गत समस्त सुसंगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन बाध्यकारी होंगे।
  19. निविदाकर्ता के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र से बालू हटाने/परिवहन से यदि किसी तीसरे पक्ष को कोई क्षति पहुँचती है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अनुज्ञापिधारक उत्तरदायी होगा।
  20. भण्डारण स्थल पर बालू जहाँ भी है जिस अवस्था में है उसका सत्यापन स्वयं आवेदक करेगा। टेण्डर स्वीकृत होने के बाद प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
  21. सफल निविदादाता को देय रायल्टी पर 02 प्रतिशत टी0सी0एस0,10 प्रतिशत जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास (डी0एम0एफ0) तथा नियमानुसार स्टाम्प एवं अन्य देय अदा करना होगा।
  22. इच्छुक निविदादाता एक से अधिक खण्डों के लिए निविदा ले सकता है जिसके लिए अलग-अलग अर्नेस्ट मनी जमा करनी होगी।

( शशांक त्रिपाठी )  
जिलाधिकारी,  
बाराबंकी।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, सिंचाई, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- आयुक्त अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 3- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।
- 4- प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या भूतत्व एवं खनिकर्म, अयोध्या।
- 5- प्रबन्धक निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, अशोक मार्ग, लखनऊ।
- 6- निदेशक, सूचना उ0प्र0लखनऊ को मय सीडी छः प्रतियों सहित दो दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।
- 7- अधि0अभि0, वैराज यॉत्रिक अनुरक्षण खण्ड आशापुर, वाराणसी
- 8- अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यशाला मण्डल-प्रथम 67-ए छावनी कानपुर-04।
- 9- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी/ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, बाराबंकी।
- 10- जिला सूचनाधिकारी बाराबंकी को निःशुल्क व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
- 11- समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद बाराबंकी को व्यापक प्रचार प्रसार कराने हेतु।
- 12- नाजिर सदर कलेक्ट्रेट बाराबंकी को मुख्य सूचना पट पर चरप्पा करने हेतु।
- 13- प्रधान गांव सभा सिरौली गुंग को तहसीलदार सिरौली गौसपुर के माध्यम से कि वांछित विज्ञप्ति/सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।

21/6  
जिलाधिकारी,  
बाराबंकी।

खनन अनुज्ञा-पत्र हेतु ई-निविदा प्रपत्र

गहत्वपूर्ण-किस्ती प्रकार के कटिम/ओवरसाइटिंग पर ई-निविदा निरस्त की जा सकती है।

1.	विज्ञापित संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2.	विज्ञापित में क्षेत्र का क्रमांक	
3.	निविदाकार का नाम	
4.	निविदाकार के पिता का नाम	
5.	स्थायी पता	
6.	वर्तमान पता	
7.	मोबाइल नम्बर	
8.	ई-मेल आईडी	
9.	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. उपखनिज का नाम- ख. जनपद का नाम- ग. तहसील का नाम- घ. खनन क्षेत्र का नाम/ ग्राम- ङ. गाटा संख्या/ खण्ड संख्या/ जोन संख्या- च. क्षेत्रफल(एकड़ में)-	
10.	आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र संख्या (आधार कार्ड की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
11.	पैन कार्ड नम्बर (पैन कार्ड की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
12.	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के संबंध में अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/शपथ पत्र (अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/ शपथ पत्र की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी )	
13.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र का संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो। (चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
14.	कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या (DIN की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
15.	क्षेत्र में निर्धारित/आंकलित मात्रा को नियमावली के अनुसूची एक में उपखनिज के लिए प्रचलित रायल्टी दर के गुणांक का 75 प्रतिशत (अर्नेस्ट मनी) का ड्राफ्ट धनराशि व ड्राफ्ट का विवरण (बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	ड्राफ्ट धनराशि ----- बैंक का नाम व शाखा ----- ड्राफ्ट का नम्बर -----

उपरोक्त उल्लिखित विवरण भेरी जानकारी में राही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नहीं गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक:-

निविदाकार के हस्ताक्षर